ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-3* June- 2021
Anthology : The Research

भारत में सामाजिक न्याय की वर्तमान दशा और दिशा

Current Status and Direction of Social Justice in India

Paper Submission: 03/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2021, Date of Publication: 26/06/2021

सोमवती शर्मा
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान
राजकीय कला कन्या
महाविद्यालय, कोटा,
राजस्थान, भारत

सारांश

भारतीय समाज में जहाँ संविधान का शासन या कानून का नियम, अनेक धर्म, पंथ, पवित्र आदर्श, उदार संस्कृति, मानव मूल्य, नैतिक सद्गुण, ईश्वर में आस्था, उसके समक्ष सभी प्राणियों में समानता, विपुल आर्थिक एवं प्राकृतिक सम्पदा एवं ज्ञान विज्ञान की बाहुल्यता है। वहाँ सामाजिक न्याय के प्रति क्या वास्तविक जागरूकता है ? क्यों पददलित, निर्बल एवं पिछड़े लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है ? हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में अभी भी बहुत से लोगों को अछूत क्यों समझा जाता है ? क्यों करोड़ों बच्चे अनपढ़ एवं तिरस्कृत घूम रहे है ? गरीबी ऊँच–नीच, निकृष्ट भेदभाव हमारे समाज में क्यों है ? सामाजिक न्याय को क्षीण या अवरूद्ध करने वाले जो तत्व या कारक है उनमें से कुछ इस प्रकार है जैसे तार्किक आधार धार्मिक कट्टरपन, निर्धनता, विधिक प्रक्रिया, हिंसात्मक क्रांति, चुनावी परिदृश्य, तुष्टिकरण की नीति उपर्युक्त सामाजिक न्याय की समस्याओं के अतिरिक्त अन्य समस्याएँ भी है, जैसे अशिक्षा, अज्ञान, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अंधविश्वास, धर्मान्धता, कट्टरवाद, क्षेत्रीयवाद, अलगाववाद, सामान्तवाद आदि इसी प्रकार के अन्य मुद्दे या कारण है जो सामाजिक न्याय के पक्षधरों के समक्ष उपस्थित है।

In Indian society, where the rule of the constitution or the rule of law, many religions, creeds, sacred ideals, liberal culture, human values, moral virtues, faith in God, equality in all beings before him, abundant economic and natural wealth and abundance of knowledge science is. Is there a real awareness of social justice there? Why the downtrodden, weak and backward people are not getting justice? Why are many people still considered as untouchables in our democratic system? Why crores of children are roaming around illiterate and despised? Why is there discrimination high and low in our society? Some of the factors that impede or block social justice are such as logical basis religious fanaticism, poverty, legal process, violent revolution, electoral scenario, policy of appeasement In addition to the above mentioned problems of social justice, there are other problems as well. Like illiteracy, ignorance, illiteracy, corruption, terrorism, superstition, bigotry, fundamentalism, regionalism, separatism, communalism, etc., there are other similar issues or reasons which are present before the advocates of social justice.

मुख्य शब्द : सामाजिक न्याय, क्षेत्रीयतावाद, जागरूकता, जनतांत्रिक व्यवस्था, सामान्तवाद, सामाजिक अन्धविश्वास, साम्प्रदायिकता, न्यायिक प्रक्रिया, लाकतांत्रिक मूल्य, कुप्रवृत्तियाँ, ब्राह्मणवाद, सामाजिक असुरक्षा, |

Social Justice, Regionalism, Awareness, Democratic System, Communalism, Social Superstition, Communalism, Judicial Process, Democratic Values, Malpractices, Brahminism, Social Insecurity,

प्रस्तावना

भारत में सामाजिक न्याय की एक आदर्श व्यवस्था की उपलब्धि के लिए साधनों एवं संस्थाओं पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकारी स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सर्वोच्य शिखर से लेकर ग्रामीण जीवन के स्तर तक कार्यरत है दूसरी तरफ कुछ ऐसी संस्थाऐं है, जो स्वायत्त एवं सरकार द्वारा नियोजित है इसी क्रम में समाज सेवी संस्थाएँ भी है जो स्वतन्त्र संस्थाओं की श्रेणी में आती है और जिनके माध्यम से बाल विकास, महिला उत्थान, छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, श्रमिक संगठन आदि सबमें जाग्रति लाने का प्रयास किया जा रहा है

ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति को शोषण से बचाया जा सके और न्याय उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में कुछ गैर सरकारी संस्थाएँ भी है जो सामाजिक न्याय के अभिकरणों के रूप में कार्य करती है। जैसे–धर्म, नीतिशास्त्र, राजनीतिक दल और दबाव समूह, विशेष प्रकार के आन्दोलन, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, साहित्यकार, अधिवक्ता, सुधारक, फिल्म, मिडिया आदि को इस श्रेणी में लिया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के अध्ययन का उद्देश्य भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के आदर्श की उपलब्धि एवं साधनों तथा संस्थाओं पर विचार विमर्श करना है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकारी स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा सर्वोच्च शिखर से लेकर ग्रामीण जीवन स्तर तक क्या कार्य सम्पादित किये जा रहे है। दूसरी तरफ प्रस्तुत शोध में इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा कि अन्य संस्थाएँ जो स्वायत्त एवं सरकार द्वारा नियोजित है, समाज सेवी संस्थाएँ जो स्वतंत्र संस्थाओं की श्रेणी में आते है द्वारा भी सामाजिक न्याय, बाल विकास महिला उत्थान, छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, श्रमिक संगठन में जाग्रति लाने का क्या प्रयास किये जा रहे है।

भारतीय समाज में जहाँ संविधान का शासन, कानून का नियम, अनेक धर्म, पंथ, पवित्र आदर्श, उदार संस्कृति, मानव मूल्य, नैतिक सद्गुण, ईश्वर में आस्था, उसके समक्ष सभी प्राणियों की समानता, विपुल आर्थिक एवं प्राकृतिक सम्पदा एवं ज्ञान विज्ञान की बाहुल्यता है वहाँ सामाजिक न्याय के प्रति क्या वास्तविक जागरूकता है ?' यदि नहीं तो इसके प्रति उपेक्षा एवं उदासीनता क्यों है ? क्यो पददलित निर्बल एवं पिछडे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है ? हमारी जनतान्त्रिक व्यवस्था में अभी भी बहुत से लोगों को अछूत क्यों समझा जा रहा है? क्यों करोड़ों बच्चे अनपढ़ एवं तिरस्कृत घूम रहे है ? गरीबी, ऊँच–नीच, निकृष्ट, भेदभाव हमारे समाज में क्यों हैं ? क्या इन सबको दूर किए बिना सामाजिक न्याय संभव है, वही दूसरी ओर घोर विरोधी परिस्थितियाँ भी मौजूद है। सामाजिक न्याय को अवरूद्ध करने वाले जो तत्व है उनमें कुछ निम्न है –

तार्किक आधार

तर्क का सम्बन्ध ऐसे विचार विमर्श से है जिसका अन्तिम परिणाम आदर्श विचार की स्वीकृति में अन्तर्निहित है। ऐसे विचारों में धर्म से लेकर बौद्धिकता तक में सभी जन उलझे नजर आते है। वास्तव में सामाजिक न्याय का सम्बन्ध जो समाज अस्तित्व में है उससे है उसका अलौकिक क्षेत्रों से ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। लेकिन प्रायः धार्मिक, मजहबी और साम्प्रदायिक व्यक्ति की वर्तमान सामाजिक स्थिति, उसकी निर्धनता, दरिद्रता, अज्ञानता, दुर्गति आदि को उसके गत जीवन में किए गए कर्मों से जोड़ते है अर्थात् वर्तमान रूप में इंसान वही है, जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किया था। यही कर्म का प्रतीकारात्मक सिद्धान्त है जो सामाजिक न्याय के मार्ग में अड़चने पैदा करता है।

धार्मिक कट्टरपन

हमारे यहाँ सभी धर्मों के अपने–अपने नियम एवं धारणाएँ है, कुछ धर्म ऐसा मानते है कि उनका ही धर्म सहीं है अन्य सभी गलत एवं व्यर्थ है यही कारण है कि प्रत्येक धर्म के स्वार्थी लोग कट्टर तथा उन्मादी बन जाते है जो सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा साबित होते है। इससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। आपसी भेदभाव, मनमुटाव, दंगा फसाद, लूटखसोट, हिंसा और कत्लेआम, आगजनी, रक्तरंजित, वैमनस्य आदि सभी को बढ़ावा मिलता है और ऐसी स्थिति में गरीब, निर्धन, दीन दुःखी, लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः पवित्रता, अकाट्यता और अन्धविश्वास की त्रयी साामजिक न्याय के मार्ग में बाधक है।

व्यक्ति की अपनी स्वयं की कुप्रवृत्तियाँ

सामाजिक न्याय के शत्रु के रूप में व्यक्ति की अपनी कुप्रवृतियाँ है जैसे घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार, नशाखोरी, जुआ और ऐसी अन्य कुप्रवृतियाँ जो व्यवहार में व्यक्तिगत लगते हुए भी इसका सामाजिक प्रभाव गंभीर होता है। कोई भी व्यक्ति जो इन कुप्रवृत्तियों का शिकार होता है दूसरो के हित की बात मन में ला ही नहीं सकता ऐसा व्यक्ति सामाजिक न्याय तो कर ही नहीं पायेगा। कुप्रवृतियों में फंसा व्यक्ति परिवार समाज व राष्ट्र का अहित करता है और मानवता की धारा में अवरोधक तत्व बन जाता है।

निर्धनता

सामाजिक न्याय की एक ओर विकराल समस्या निर्धनता भी है। गरीबी, दरिद्रता ने सभी धर्मों एवं जातियों अधिकतर स्त्री–पुरूषों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। निर्धनता के बहुत से कारण है, पर बहुत से परिवार अभाव एवं भूखमरी के साये में जीवन निर्वाह कर रहे है। ये लोग अन्य समस्याओं, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आवासीय अभाव आदि से जूझते रहते है। निर्धनता के कारण ये परिवार अत्याचार, शोषण, बेगार, बंधुता, मजदूरी आदि के शिकार भी होते रहते है। वैसे सभी राजनीतिक दल गरीबी मिटाओं का नारा लगाते है, पर निर्धन–दरिद्र परिवारों की सही–सही पहचान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है फलतः विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया है। इन निर्धन परिवारों में वे दलित परिवार भी है। जिन्हें अभी आरक्षण आदि का कोई लाभ नहीं मिला है। जिन्हें जमीन आवंटित की गई है तो उच्च जातियों के प्रभावशाली लोग उन्हें अपने कब्जे में रखते है। इस प्रकार सामाजिक न्याय की दृष्टि से देहाती क्षेत्रों में जो निर्धन तथा दलित लोगों के साथ अत्याचार होते है उनकी रोकथाम करना सरकारी अभिकरणों का मुख्य दायित्व है।

विधिक प्रक्रिया

सामाजिक न्याय के अन्तर्गत बहुत सी जातियों को सुविधाऐं मिली है पर वह कागज तक ही सीमित रह जाती है और उनके लिए इनके द्वारा न्यायिक लड़ाई लड़ना सम्भव नहीं हो पाता। अन्य मामलों में भी सवर्ण जातियों के निर्धन–दरिद्र लोगों को वैसा न्याय नहीं मिल पाता जैसा उन्हें मिलना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में भी इतना विलम्ब, खर्चा होता है कि उसमें सामाजिक न्याय की भावना नष्ट हो जाती है। फलतः बहुत से परिवार

सामाजिक न्याय से वंचित रह जाते है। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया की कठिनाई, विलम्ब और खर्चीलापन सामाजिक न्याय की एक दुखदायी समस्या है और साथ ही न्यायिक अभिकरण भी उसके प्रति उदासीन है।

हिंसात्मक क्रांति

सामाजिक न्याय निश्चय ही क्रांतिकारी परिवर्तन का परिचायक है और जब–जब उसके पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय हुए जैसे पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, तब–तब भारतीय समाज में भूचाल आये। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाते समय भी भारी प्रतिक्रियाएं हुई। भारत के कई क्षेत्रों में सामाजिक न्याय के लिए हिंसात्मक संगठन स्थापित हुए है और हिंसात्मक आन्दोलन भी सक्रिय है। इनका कहना है कि बिना क्रांति के भारत की रूढ़िवादी, अंधविश्वासी तथा कट्टरपंथी समाज में न्याय मुश्किल है। कुछ ऐसे भी संगठन एवं आन्दोलन है जो शांतिमय एवं संविधानिक ढंग से सामाजिक न्याय की प्राप्ति के हक में है। इस प्रकार सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, हिंसा से अथवा शांतिमय तथा विधिक प्रक्रिया या फिर राजनीति संघर्ष द्वारा एक प्रमुख समस्या बन गई है।

चुनावी परिदृश्य

आजादी के पश्चात् सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। सभी को संसद एवं विधानसभाओं के चुनावों में समान मताधिकार एक व्यक्ति एक वोट' का सिद्धान्त अपनाया गया जो सामाजिक न्याय का एक अच्छा उदाहरण बना लेकिन प्रायः देखा गया कि जहाँ–जहाँ विशिष्ट जातियों अथवा समूहों का प्रभाव रहा वहाँ–वहाँ वे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जबरन उन स्त्री–पुरूषों के मत डाल देते इस प्रकार उन्हें सामाजिक न्याय के अन्तर्गत राजनीति अधिकारों से जो समान अधिकार के अधिकार है, से वंचित रखा जाता है।

तुष्टिकरण की नीति

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्स में तुष्टिकरण की नीति भी सामाजिक न्याय की एक समस्या बन गई है। इस नीति के तहत कोई राजनीतिक दल किसी समुदाय अथवा जाति विशेष को संतुष्ट करने के लिए उसकी शर्तों एवं मांगों को मान लेती है और सत्ता में आने पर उसी जाति या समुदाय विशेष को लाभ या रियायते देता है। इन रियायतों के हकदार अन्य समुदाय वाले भी होते है पर वे उन्हें नहीं मिल पाती तुष्टिकरण की नीति के कारण अन्य लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता।

उपर्युक्त सामाजिक न्याय की समस्याओं के अतिरिक्त अन्य समस्याऐं भी है जैसे अशिक्षा, अज्ञान, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अंधविश्वास, धर्मान्धता, कट्टरवाद, क्षेत्रीयवाद, अलगाववाद, ब्राह्मणवाद, सामन्तवाद, विकलांगों एवं वृद्धजन की सामाजिक असुरक्षा, अनाथ बच्चों का पुर्नस्थापन, विधवा विवाह, बलात्कार से पीड़ित महिलाए, प्राकृतिक आपदा के कारण उजड़े परिवार, कुष्ठरोग से पीड़ित स्त्री–पुरूष व बच्चों की देखभाल और इसी प्रकार के अन्य मुद्दे जो सामाजिक न्याय के मित्रों के समक्ष उपस्थित है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज की जो व्यवस्था है अनेक स्थितियों में वह सामाजिक न्याय के अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि ऐसे विचारक और सुधारक सामने आये जो सामाजिक न्याय को स्पष्ट कर सके। चूँकि वर्तमान में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व एवं न्याय का जीवन्त दस्तावेज भारतीय संविधान है अतः संविधान में सन्निहित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को निभाने वाले व्यक्ति ही सामाजिक न्याय की स्थापना में सहयोगी हो सकते है। इसी दिशा में जहाँ हमने संस्थाओं का जिक्र किया है उसके लिए आवश्यक है कि हमारी सामाजिक एवं राजीतिक व्यवस्था का आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इस दृष्टि से राजनीतिक दल एवं अन्य संस्थाएँ जो प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों में विश्वास करती और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए समर्पित होती है निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करती है जो कमजोरों को शिक्षित, संगठित और आन्दोलित करने वाले है वे भी सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होते है भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के अनुकूल जो परम्पराएँ एवं मूल्य रहे है। उनको अपनाकर भी हम मानव मात्र का भला सोच सकते है। वे सभी जो सामाजिक कार्यों में सकारात्मक भूमिका निभाते है वे भी सामाजिक न्याय की क्रियान्विति में महत्वपूर्ण है। **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. *सेन अमर्त्य ''न्याय का स्वरूप'' राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2010*
2. *जाटव डी. आर, ''सामाजिक न्याय का सिद्धान्त'' समता साहित्य सदन इमली वाला फाटक, जयपुर*
3. *सिंह रामगोपाल, ''डॉ. अम्बेडकर : सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, चौड़ा रास्ता जयपुर*
4. *तिवारी सी, ''शुद्राज इन महू'' मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली, 1963*
5. *विवेक रामपाल ''डॉ. अम्बेडकर : जीवन और आदर्श'' मलिक एण्ड कम्पनी जयपुर, 1992*
6. *वियोगी, हरि : 'अस्पृश्यता' सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, 1969*
7. *वेंकटरमन, एस.आर. हरिजन थ्रू द ऐजेज'' भारत पब्लिकेशन, मद्रास, 1946*
8. *सदाशिव डी.एन. ''लॉ एण्ड सोशल जस्टिस'' इलाहबाद, 1978*